



ORIGINAL RESEARCH PAPER

Commerce

बैंकों में धोखाधड़ी : एक सम्पूर्ण आयाम

KEY WORDS: बैंकिंग क्षेत्र, बैंक धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का वर्गीकरण, बैंक में धोखाधड़ी के प्रकार,

डायलाल सांखला

सहायक आचार्य, ई.ए.एफ.एम., एम.बी.सी. राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर.

ABSTRACT

बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आवश्यक साधन हैं और भारत इसका अपवाद नहीं है। बैंकिंग का मतलब है उधार या निवेश के लिए, मांग पर चुकाने या अन्यथा के लिए जनता से जमा स्वीकार करना। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के पास पैसा या अन्य संपत्ति रखने के लिए धोखाधड़ी एक गैर कानूनी प्रथा है। जब भी कोई धोखाधड़ी करता है, वह एक भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या दूसरे पक्ष से कुछ महत्वपूर्ण छिपाता है, उस पार्टी को धोखा देता है और उसे लेता है अवैध साधनों का उपयोग करके पैसा। आज कल बैंक धोखाधड़ी आम हो गई है। बैंकिंग प्रणाली वृद्धि की दिशा में बहुत योगदान देती है और एक अर्थ व्यवस्था का विकास। धोखाधड़ी से न केवल बैंकिंग क्षेत्र को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान होता है। हालांकि भारत में बैंक विनियामक निकाय भारतीय रिजर्व बैंक (रुब) द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है, फिर भी धोखाधड़ी के विभिन्न मामले पाए गए हैं। वहीं है हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि, आश्चर्यजनक रूप से धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। भारत में बैंक कमी नहीं शून्य धोखाधड़ी वातावरण में काम करते हैं। यह पता चला है कि धोखाधड़ी के अधिकांश मामले व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिमों से संबंधित हैं। वर्तमान अध्ययन चर्चा करता है वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली परिदृश्य, धोखाधड़ी का वर्गीकरण, बैंक में धोखाधड़ी के प्रकार, विभिन्न अनुशासनात्मक अध्ययन के परिणामों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन के हिस्से के रूप में निष्कर्ष भी दिया गया है जिसका उपयोग भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए किया जा सकता है।

प्रस्तावना :

भारतीय बैंकिंग प्रणाली दुनिया में अपनी सुदृढ़ संरचना के लिए जानी जाती है। जिसका वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके वित्तीय संस्थानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ना एक प्रमाण है जिसका एक मात्र कारण भारत की प्रभावशील नियोजित एवं अनुशासनात्मक मौद्रिक नीति रही है। वर्तमान परिवेश में बैंक घोटालों की लंबी फेहरिस्त यह बयान कर रही है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था में नीतिगत और क्रियान्वयन स्तर पर बड़ी खामियां व्याप्त हैं। जहां धोखाधड़ी को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों को धोखाधड़ी प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक रक्षा उपायों की जानकारी प्रदान करता रहता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में नरसिम्हन समिति की वस्तुओं की अपनी भूमिका रही है। जिसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अधिकाधिक पारदर्शी, नियोजित और नियंत्रित बनाकर भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम दिलाया है। वर्ष 1991 में हुई अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में काफी वृद्धि और परिवर्तन हुआ है। हालांकि बैंकिंग उद्योग आमतौर पर विनियमित और पर्यवेक्षित है, पर जब नैतिक प्रथाओं, वित्तीय संकट और कॉर्पोरेट शासन की बात आती है, तो यह क्षेत्र अपनी तरह की चुनौतियों से पीड़ित है। वर्तमान में, भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले नियमित तौर पर प्राप्त हो रहे हैं। उदारीकरण के बाद तो बैंकिंग धोखाधड़ी की आवृत्ति जटिलता और लागत में कई गुना वृद्धि हुई है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय है।

धोखाधड़ियों का वर्गीकरण :

धोखाधड़ियों की मामलों की सूचना देने में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(ए) दुर्गिनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग।

(बी) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन।

(सी) पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं।

(डी) लापरवाही और नकदी की कमी।

(इ) छल और जालसाजी।

(एफ) विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं।

(जी) अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो।

ऊपर मद (डी और एफ) में उल्लिखित 'लापरवाही और नकदी की कमी' तथा 'विदेशी मुद्रा सम्बन्धि लेनदेनों में अनियमितताओं' के मामलों को तभी धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाता है यदि छल करने/ धोखा देने के इरादों का संदेह हो/ इरादा साबित हो गया हो।

बैंक धोखाधड़ी के प्रकार :

खाता खोलने वाली धोखाधड़ी – इसमें छलपूर्ण किसी का खाता खोलना व उसमें छलपूर्ण चेक का जमा और नकदीकरण शामिल है।

चेक काईटिंग – एक विधि जहां जमाकर्ता बिना किसी ब्याज शुल्क के अनधिकृत ऋण प्राप्त करता है।

चेक धोखाधड़ी – किसी चुराए गए चेक और जाली हस्ताक्षर के माध्यम से की गयी धोखाधड़ी इसमें सबसे आम है।

नकली प्रतिभूतियां – इसमें दस्तावेज, प्रतिभूतियां, बांड और प्रमाणपत्र को जाली, डुप्लिकेट, समायोजित या परिवर्तित किया जा सकता है और ऋण संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कंप्यूटर धोखाधड़ी – बैंकिंग, अनाधिकृत क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक डिस्क्रेट के साथ छेड़छाड़ करना और उस खाते को क्रेडिट देना जिसके लिए धन मूल रूप से इरादा नहीं था।

ऋण धोखाधड़ी – जब धन गैर उधार लेने वाले ग्राहक या उधार लेने वाले ग्राहक को दिया जाता है, जो अपनी क्रेडिट सीमा को पार कर चुके हैं।

मनी लॉडरिंग धोखाधड़ी – नकदी को बैंकों में अवांछनीय लेनदेन में परिवर्तित करके, यह अवैध प्राप्त धन का अस्तित्व, स्रोत या उपयोग को छुपाने का एक माध्यम है।

मनी ट्रांसफर धोखाधड़ी – एक वास्तविक निधि हस्तांतरण निवेदन में परिवर्तन, जैसे मेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, टेलैक्स।

टेलैक्स धोखाधड़ी – धन को दूसरे खाते में मोड़ने के लिए, कोड के रूप में टेलैक्स के माध्यम से पारित संदेशों को बदला जा सकता है।

प्रत्यय-पत्र/साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे आम-ये सीमाओं के पार उपयोग किए जाने वाले यंत्र हैं जो जाली, बदले या समायोजित किये जा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में गत वर्ष के मुकाबले बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 28 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, अगर बैंक धोखाधड़ी की राशि की बात करें तो इसमें 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन 2020 में यह ज्ञात हुआ है कि बैंकों को आमतौर पर किसी भी धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त होने में औसत 24 महीने लग जाते हैं। वहीं, 100 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की पहचान होने में तो 5 साल तक लग जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक धोखाधड़ी के जो मामले सामने आए हैं, उनमें ऋण को लेकर सबसे अधिक फर्जीवाड़ा हुआ है।

धोखाधड़ी की दो प्रमुख श्रेणी :

अ) प्रौद्योगिकी से संबंधित

बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी के मामलों में सबसे अधिक प्रौद्योगिकी से संबंधित धोखाधड़ी है (इंटरनेट बैंकिंग चैनल, एटीएम और क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड जैसे अन्य वैकल्पिक भुगतान चैनल के माध्यम से की हुई धोखाधड़ी)। बैंक उन्नत, दक्षता और लागत में कटौती के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे नए सेवा वितरण प्लेटफॉर्म अपना रहे हैं। बैंक के ग्राहक तकनीकी प्रेमी बन गए हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं कुछ वर्षों में अधिक बढ़ी हैं, पर वास्तविक राशि आमतौर पर बहुत कम ही है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रतिरक्षा उपायों को लागू करें जैसे कि लामार्थियों के मूल्य/ संख्या पर कैंप डालें, प्रति दिन/ प्रति लामार्थी को लेनदेन प्रभावित करने की संख्या पर लगाम, और बड़े मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की शुरुआत करें।

ब) अग्रिम संबंधित

अग्रिम पोर्टफोलियो से संबंधित धोखाधड़ी बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि का सबसे बड़ा हिस्सा है। बड़े मूल्य अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी, जो सभी हित धारकों को महत्वपूर्ण चुनौती देते हैं, वो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्रित हैं। क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी के अधिकांश हिस्सों का कारण, अपर्याप्त मूल्यांकन प्रणाली, खराब संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण और अपर्याप्तता है।

अनुशासकों:

उच्च राशि शामिल होने की वजह से व सीवीसी द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने की बोझिल प्रक्रिया के कारण, भारत में हो रहे सभी बैंकिंग धोखाधड़ी में, क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी का अधिकतम प्रभाव है। धोखाधड़ी मुख्य रूप से शीर्ष प्रबंधन के पर्याप्त पर्यवेक्षण की कमी, कर्मचारियों के लिए दोषपूर्ण प्रोत्साहन तंत्र, कर्मचारियों, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और तीसरी पार्टी एजेंसियों के बीच मिली भगत; कमजोर विनियामक तंत्र; धोखाधड़ी के चेतावनी संकेत को जल्द पता लगाने के लिए उपयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकियों की कमी, बैंक कर्मचारियों में जागरूकता की कमी और भारत व विदेशों में अलग-अलग बैंकों के बीच समन्वय की कमी के कारण हो सकती है। रिपोर्ट करने के कानूनी प्रक्रियाओं में विलंब, और सिस्टम में विभिन्न खामियों को धोखाधड़ी और एनपीए के कुछ प्रमुख कारण माना जाते हैं। प्रयासों के बावजूद, बैंक उन व्यक्तियों के दोष सिद्धि में बहुत सफल नहीं हुआ जो वित्तीय अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। इस समस्या के मूल कारणों हैं— एक अच्छी फोरेंसिक एकाउंटिंग एवं अच्छी कानूनी समझ की कमी। इसलिए, निम्नलिखित अनुशासकों को धोखाधड़ी के शुरुआती पहचान के लिए सुझाव दिया गया।

1) स्वतंत्र विशेष संवर्ग: सरकार सभी भारत सेवाओं के आधार पर एक स्वतंत्र विशेष अधिकारियों के कैंडर पर विचार कर सकती है, जो सर्वोत्तम वित्तीय जानकारी और वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कानूनी जानकारी से सुसज्जित हैं और ऐसे घोटालों की जांच अल्प अवधि में करने में प्रभावी और सक्षम हैं।

2) अपने बाजार को जानें: अपने विक्रेता और अपने ग्राहक को जानने के अलावा, बैंकों को अपने बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक बैंक के भीतर एक समर्पित सेल होना चाहिए जो उस कंपनी/फर्म जिससे वे उधार देते हैं और संबंधित उद्योग के व्यापक आर्थिक वातावरण या जहां उत्पादों का विपणन करते हैं, उसका आकलन करें।

3) आंतरिक रेटिंग एजेंसी: बैंकों के पास एक शक्तिशाली आंतरिक रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, जो ऋण मंजूर करने से पहले, बड़ी टिकट परियोजनाएं का मूल्यांकन करती है। वर्तमान व्यापक-आर्थिक स्थिति व वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के अनावरण को ध्यान में रखते हुए, रेटिंग एजेंसी को ब्रांड के नाम या मूल कंपनी की क्रेडिट योग्यता से प्रभावित हुए बिना, सख्ती से व्यावसायिक मॉडल/ परियोजना की योजना के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आंतरिक और बाहरी एजेंसियों की रेटिंग समान नहीं हैं तो इस तरह के मतभेदों का कारण स्थापित करने के लिए एक जांच आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा, किसी भी संभावित संलयन की संभावना को रोकने के लिए बैंक को ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन में कम से कम 2-3 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सेवाएं लेनी चाहिए।

4) नवीनतम तकनीक का उपयोग: बैंकों में डेटा संग्रह तंत्र बहुत पुराने हैं और उसे एक संशोधन की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाया गया डांचा, लाल ध्वजांकित खाते (आरएफए) और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को क्रमशः सर्वोत्तम उपलब्ध आईटी सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स को नियोजित करना चाहिए, जो ग्राहकों के लेनदेन के पैटर्न का विश्लेषण कर ग्राहकों की बेहतर प्रोफाइलिंग में मदद करेगा और बैंकों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी प्रदान करेगा।

5) क्षेत्रीय स्तर पर बाहरी आंदोलन की निगरानी: आरबीआई इसे निगरानी के दायरे की विस्तारित करने पर विचार कर सकता है और उसे सेबी सर्किल ब्रेकर की तर्ज पर, क्षेत्रीय स्तर पर लेनदेन की बाहरी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए जो वित्तीय धोखाधड़ी के शुरुआती संभावित संकेतों को ट्रैक करने में प्रभावी हो सकता है।

6) तीसरे पक्ष के लिए मजबूत दंडनीय उपाय: सरकार को बैंक धोखाधड़ी से संबंधित खातों में अंकित तीसरे पक्ष की भूमिका की जांच करने पर विचार करना चाहिए जैसे कि चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील लेखा परीक्षक, और रेटिंग एजेंसी और भावी प्रतिरोध के लिए सख्त दंडनीय उपायों को स्थापित करना चाहिए। छलपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग को रोकने के लिए मजबूत कानून: ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्व में सुधार करने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत किया जा सकता है। उनमें से एक केवाईसी मानदंडों को मजबूत करना। व दूसरा है इच्छाशक्ति डिफॉल्ट जिसे दण्डनीय अपराध बना दिया जाना चाहिए।

7) ग्राउंड इंटेलिजेंस संपत्तियां: बैंकों को चाहिए कुछ खुफिया एजेंसी, जिन्हें उधारकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए तैनात किया जा सकता है और जो वास्तविक समय पर अनुपालन और धोखाधड़ी की जल्दी पहचान सुनिश्चित कर बैंक की मदद करने में सक्षम हो। बैंकों में कुशल/प्रशिक्षित अधिकारियों से बना एक विशेष धोखाधड़ी निगरानी एजेंसी स्थापित किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंक, सीबीआई, आरबीआई, सेबी जैसे एजेंसियों की विशेषज्ञता के साथ एक विशेष जांच एजेंसी की भी आवश्यकता है।

8) धोखाधड़ी के मामले को सँभालने के लिए समर्पित विभाग: प्रत्येक कॉर्पोरेट शाखा में एक समर्पित विभाग होना चाहिए जो कानूनी सहायता से सुसज्जित है, तथा जो जांच एजेंसियों के एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।

9) वित्तीय साक्षरता: कई बार, कर्मचारी धोखाधड़ी की सटीक परिभाषा नहीं जानते हैं। इसलिए, नियमित आधार पर कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रारंभिक धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को होना चाहिए।

10) पारदर्शी भर्ती और पर्याप्त मुआवजे: बैंकों को उच्चतम स्तर पर कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करना है। शीर्ष प्रबंधन को नैतिक प्रथाओं के लिए दिशानिर्देशों और नीतियों को

निर्धारित करने की आवश्यकता है और पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर उपयुक्त भर्ती प्रक्रिया पर उचित प्राथमिकता, जवाबदेही के साथ कम से कम 3 साल की सेवा पर जोर दिया जाना चाहिए।

11) एजेंसियों के बीच सामंजस्य: प्रमोटर्स की निजी संपत्ति पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, बैंकों और सीबीडीटी जैसे एजेंसियों के बीच एक गोपनीय सामंजस्य होना चाहिए। किसी भी जानकारी के मामले में जो लाल झंडा (भयसूचक चिह्न) उठा सकता है, सीवीसी और भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए प्रमोटर्स की जांच करनी चाहिए।

निष्कर्ष:

भारतीय रिजर्व बैंक सुकल्पित स्वरूप की सभी धोखाधड़ियों के ब्यौरे बैंकों को देता रहता है ताकि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा आवश्यक रक्षापाय/ निवारक उपाय प्रारंभ कर सकें। इस सतत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बैंक, धोखाधड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई से रिजर्व बैंक को अवगत कराएं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और भुगतान प्रणाली के कामकाज में धोखाधड़ी का काफी कठोर और मजबूत प्रभाव होता है। इसके अलावा, धोखाधड़ी बैंकिंग प्रणाली में लोगों के आत्मविश्वास पर प्रभाव डालती है और अर्थव्यवस्था की अखंडता और स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है। यह बैंकों को नीचे ला सकता है, केंद्रीय बैंक की पर्यवेक्षी भूमिका को कमजोर कर सकता है और यहां तक कि सामाजिक अशांति, असंतोष और राजनीतिक उथलपुथल भी पैदा कर सकता है— हाल के दिनों में तकनीकी प्रगति ने धोखाधड़ी के लिए बैंकों की भेद्यता को बढ़ा दिया गया है। हमें एक व्यापक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखना होगा। बैंकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए परिश्रमपूर्वक और सतर्कता से काम करना सुनिश्चित करना ही एक मात्र उपाय है।

—: सन्दर्भ सूची —:

- 1- "Fraud in the banking sector—causes, concerns and cures" Inaugural address by Dr. KC Chakrabarty, retrieved on 3rd June, 2019 from <http://www.bis.org/revies/r130730a.pdf>
- 2- <https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Notifications.aspx?id=4601#CT1>
- 3- <https://legalserviceindia.com/>
- 4- Reserve Bank of India (2014a), "Master Circular on Frauds- Classification and Reporting", RBI Circulars.